दिनांक 03.11.2022
प्रेस विज्ञप्ति 03/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मैनपुरी/थाना कुरावली

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 03 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 03.11.2022 को थाना कुरावली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नवीन मंडी अंडर बाईपास के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सलमान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 03 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मैनपुरी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद मैनपुरी से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कुरावली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सलमान निवासी रीछपुरा डेरा बंजारा थाना कुरावली जनपद मैनपुरी।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 03 खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल।

जनपद बरेली/थाना इज्जतनगर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.11.2022 को थाना इज्जतनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कृष्णानगर रोड़ नं0–7 के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मनमोहन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानो में हत्या आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना इज्जतनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 844/2022 धारा 302/307/120बी भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना इज्जतनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मनमोहन निवासी कृष्णानगर रोड़ नं0–7 थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।

जनपद कानपुर देहात/थाना मंगलपुर

- **10–10 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.11.2022 को थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–सुनील 2–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना मंगलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 116/2022 धारा 302/201 भादवि में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10–10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुनील निवासी अलियापुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

2–अभियुक्ता।

जनपद प्रयागराज/थाना माण्डा

- **पुलिस कार्यवाही में 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 34 हजार 500 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 02/03.11.2022 को थाना माण्डा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कोरांव से देवकुण्डनाथ मन्दिर के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—सौरभ उर्फ आकाश 2—मोनू घायल हो गया, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 34 हजार 500 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.10.2022 को थाना माण्डा क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना माण्डा पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सौरभ उर्फ आकाश के विरूद्ध जनपद मिर्जापुर, प्रयागराज के विभिन्न थानो में हत्या, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग एवं अभियुक्त मोनू के विरूद्ध जनपद प्रयागराज के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना माण्डा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सौरभ उर्फ आकाश निवासी उरूवा थाना मेजा जनपद प्रयागराज।

2–मोनू निवासी बहेलियापुर बरहाकला थाना माण्डा जनपद प्रयागराज।

बरामदगी

1–लूट के 34 हजार 500 रूपये नगद।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल।

जनपद रायबरेली/थाना मिलएरिया

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूटे गये सोने–चॉदी के आभूषण**
- **लूट के पर्स आदि**
- **8600/–रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 03.11.2022 को थाना मलएरिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भटपुरवा से 04 अभियुक्तों 1–मुस्तकीम उर्फ मोनू 2–मोहम्मद गुलफाम 3–महेन्द्र प्रताप 4–अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये सोने–चॉदी के आभूषण, लूट के पर्स आदि, 8600/–रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा विभिन्न, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं। दिनॉकः 29.10.2022 को थाना मिलएरिया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मिलएरिया पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि लूट की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मिलएरिया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुस्तकीम उर्फ मोनू निवासी राही थाना मिलएरिया जनपद रायबरेली।

2–मोहम्मद गुलफाम निवासी राही थाना मिलएरिया जनपद रायबरेली।

3–महेन्द्र प्रताप निवासी भटपुरवा थाना मिलएरिया जनपद रायबरेली।

4–अभियुक्ता।

बरामदगी

1–लूटे गये सोने–चॉदी के आभूषण।

2–लूट के पर्स आदि।

3–8600/–रूपये नगद।

4–01 मोटर साइकिल।

5–02 अवैध तमंचा विभिन्न, 02 जीवित कारतूस।

जनपद बस्ती/थाना हरैया

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की 01 टोयोटा इटियास कार**
- **लूट के 02 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 03.11.2022 को थाना हरैया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बेलाडे शुक्ल मोड़ के पास से 02 अभियुक्तों 1–प्रतीक 2–रामू कुमार

को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट की 01 टोयोटा इटियास कार, लूट के 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 29.10.2022 को थाना हरैया क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हरैया पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद कार, मोबाइल फोन उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना हरैया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—प्रतीक निवासी कटरिया याकूबपुर थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

2—रामू कुमार निवासी जोलहिया याकूबपुर थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट की 01 टोयोटा इटियास कार।

2—लूट के 02 मोबाइल फोन।

3—01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

<u>जनपद मैनपुरी/थाना कुरावली</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 02 ईको कार आदि**
- **घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो पिकअप**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 02.11.2022 को थाना कुरावली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हाईवे पुल के नीचे जुन्हैसा मोड़ से पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्तों 1— सलमान

2–शान मोहम्मद उर्फ शानू को गिरफ्तार किया गया। अन्य बदमाश मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 02 ईको कार, घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो पिकअप, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सलमान के विरूद्ध जनपद मैनपुरी, एटा, फतेहगढ, फिरोजाबाद के विभिन्न जनपदों पर लूट, हत्या, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद कार आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कुरावली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सलमान निवासी रीछपुरा थाना कुरावली जनपद मैनपुरी।

2–शान मोहम्मद उर्फ शानू निवासी मोहल्ला गॉधीनगर थाना सिढपुरा जनपद कासगंज।

बरामदगी

1–चोरी की 02 ईको कार।

2–घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो पिकअप।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि।

जनपद सीतापुर/थाना कोतवाली नगर

- **04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल**
- **मोटर साइकिल के लॉक खोलने का उपकरण**
- **05 मोबाइल फोन, विदेशी मुद्रा, फर्जी नम्बर प्लेट**
- **100 ग्राम अवैध अफीम**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 03.11.2022 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विभिन्न स्थानो से 04 शातिर अभियुक्तों 1– अमरजीत 2– अरूण कुमार 3– धीरू

4–आशीष उर्फ आशु को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल, मोटर साइकिल के लॉक खोलने का उपकरण, 05 मोबाइल फोन, विदेशी मुद्रा, फर्जी नम्बर प्लेट, 100 ग्राम अवैध अफीम, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अमरजीत के विरूद्ध जनपद खीरी के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोटर साइकिल चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अमरजीत निवासी घोला फार्म थाना सम्पूर्णानगर जनपद लखीमपुर खीरी।

2–अरूण कुमार निवासी अम्बेडकरनगर थाना पलिया जनपद लखीमपुर खीरी।

3–धीरू निवासी भवानीगंज थाना गोला जनपद लखीमपुर खीरी।

4–आशीष उर्फ आशु निवासी ऊचीभूड़ थाना गोला जनपद लखीमपुर खीरी, स्थाई पता भदेड़ (अलीगंज) थाना गोला जनपद लखीमपुर खीरी।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 06 मोटर साइकिल।

2–मोटर साइकिल के लॉक खोलने का उपकरण।

3–05 मोबाइल फोन, विदेशी मुद्रा, फर्जी नम्बर प्लेट।

4–100 ग्राम अवैध अफीम।

5–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस आदि।

जनपद हरदोई/थाना हरियावां

- **05 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 किलोग्राम अवैध डोडा बरामद**

दिनॉकः 03.11.2022 को थाना हरियावां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर उतरा भैंसठा नदी के पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शमशाद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–494/2022 धारा 379 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 05 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हरियावां पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शमशाद निवासी ग्राम उतरा थाना हरियावां जनपद हरदोई।

बरामदगी

1–03 किलोग्राम अवैध डोडा।

जनपद गाजीपुर/थाना दिलदारनगर

- **मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 40 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 512 ग्राम अवैध हेरोईन**
- **1200 रूपये नगद**
- **10 मोबाइल सिम, 06 एटीएम कार्ड, आधार कार्ड आदि**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 02.11.2022 को थाना दिलदारनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम रक्सहा के पास से मादक पदार्थ तस्कर निरंजन कुमार को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 40 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 512 ग्राम अवैध हेरोईन, 1200 रूपये नगद, 10 मोबाइल सिम, 06 एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना दिलदारनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—निरंजन कुमार निवासी ग्राम कुसी थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1—लगभग 40 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 512 ग्राम अवैध हेरोईन।

2—1200 रूपये नगद।

3—10 मोबाइल सिम, 06 एटीएम कार्ड, आधार कार्ड आदि।

4—01 मोटर साइकिल।

- **जनपद बिजनौर/थाना हल्दौर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 01—01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश बिजनौर द्वारा थाना हल्दौर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—बलवीर 2—लोकेन्द्र 3—रविन्द्र को आजीवन कारावास व 01—01 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बाराबंकी (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 04 करोड़ 61 लाख 87 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद बाराबंकी पुलिस ने अभियुक्त 1—रिजवान पुत्र जुमई 2—इसरार उर्फ कचल्ले पुत्र चौधरी अली नसीर उर्फ मो0नसीम निवासीगण टिकरा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 04 करोड़ 61 लाख 87 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

एसटीएफः स्वयं को सचिवालयकर्मी व ईटीवी न्यूज चैनल का पत्रकार बताकर लोगों को ब्लैकमेल कर धन उगाही करने वाला गिरफ्तार।

दिनांक 02–11–2022 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को स्वयं को सचिवालयकर्मी व ईटीवी न्यूज चैनल का पत्रकार बताकर लोगों को ब्लैकमेल कर धन उगाही करने वाला कमल नयन पाण्डेय को थाना– कोतवाली जनपद–गोण्डा से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– कमल नयन पाण्डेय पुत्र लक्ष्मी पाण्डेय निवासी ग्राम सकरौर, थाना– परसपुर जनपद– गोण्डा उत्तर प्रदेश। हालपता– परसनपुरवा निकट आईटीआई चौराहा, थाना कोतवाली, जनपद– गोण्डा, उत्तर प्रदेश।

बरामदगीः–

1– 01 अदद मोबाइल फोन।

2– 01 अदद आधार कार्ड।

3– नकद 110 रूपये।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

निकट बस स्टैण्ड, थाना कोतवाली जनपद– गोण्डा दिनांक– 02–11–2022 समय 12:30 बजे अपरान्ह।

विगत काफी दिनों से राजधानी लखनऊ व उसके आस पास के जनपदो में स्वयं को कभी सचिवालय का अधिकारी कभी प्रतिष्ठित न्यूज चैनलों का पत्रकार बताकर लोगों पर धौंस जमाकर ठगी किये जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हो रही थी। उपरोक्त सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक श्री दीपक कुमार सिंह के पर्यवेक्षणाधीन टीम द्वारा सुरागरसी पतारसी की गयी व मुखबिर तन्त्र को सक्रिय किया गया तो ज्ञात हुआ कि जनपद गोण्डा व आस पास के क्षेत्र में व्हाट्सप्प कॉल के माध्यम से डरा–धमकाकर ठगी की जा रही है।

उक्त सूचना को विकसित करने हेतु उपनिरीक्षक तेज बहादुर सिंह के नेतृत्व में मु0आ0 हरीश सिंह चौहान, मु0आ0 कृष्ण कांत शुक्ला, आ0 सुनील कुमार, की टीम गठित कर इनके बारे में जानकारी आदि एकत्रित की गयी। दिनांक 02–11–2022 को मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि उक्त के सम्बन्ध में एक व्यक्ति बस स्टैंड के पास मौजूद है, यदि जल्दी की जाये तो पकडा जा सकता है। उक्त सूचना पर विश्वास करके उपनिरीक्षक तेज बहादुर सिंह में गठित टीम व सरकारी वाहन के साथ बस स्टैण्ड गोण्डा के पास आये। जहां मुखबिर खास ने ग्रे रंग का शर्ट पहने लड़के की तरफ इशारा करके बताया कि यह वही व्यक्ति है, इस हम पुलिस वालों ने उक्त व्यक्ति को एक बारगी दबिश देकर पकड़ लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त कमल नयन से विस्तृत पूंछताछ पर बताया कि उसने ग्रामसभा– अचरामऊ, बक्शी का तालाब, जनपद लखनऊ के पूर्व प्रधान वीरेन्द यादव के मोबाइल पर फोन करके अपने आप को पहली बार सचिवालय का अधिकारी बताकर व दूसरी बार ईटीवी न्यूज चैनल का संवाददाता बताकर रुपये मांगे थे। इसके अतिरिक्त उसने उन्हें व्हाट्सएप काल की थी, जिसमें उसके द्वारा नुकसान कराने की धमकी देकर रुपये की मांग की थी और कहा था कि ले देकर अपना मामला निपटा लो नहीं तो (मा0 CM महोदय) योगी जी से कहकर तुम्हारे घर पर बुल्डोजर चलवा दूंगा, कुर्की आदि भी कराने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त भी वह कई लोगों को फोन करके उन्हें डराता–धमकाता था व उनसे रुपये मांगता था, जो डर जाता था वह रुपये दे देता था। पूर्व में भी उसके खिलाफ एक मुकदमा अपराध संख्या– 701/2019 थाना को0 नगर गोण्डा में लिखा गया था। जिसमें उसने स्वयं को उपजिलाधिकारी गोण्डा का स्टेनो बताकर डॉ मिन्हाज अहमद से 40 हजार रुपये की मांग की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0सं0 780/2022 धारा 170,384,419,420 भा0द0वि0 थाना कोतवाली जनपद–गोण्डा में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

———————